राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कमांक प.7 (1) वित्त/अंकेक्षण/2002 जयपुर, दिनांक 16-01-2026

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, (संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित)

परिपत्र

विषय – राजकीय धन/सम्पत्ति के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने बाबत ।

विभागों द्वारा चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि की राशि की वसूली, पुलिस कार्यवाही एवं विभागीय जांच के विस्तृत निर्देश जारी करने के उपरांत भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक द्वारा भी अपने प्रतिवेदन (राज्य वित्त) में प्रतिवर्ष आक्षेप गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मामला शासन के ध्यान में लाया जाता है।

ऐसे मामलों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 20 व 22 में विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी दर्शायी गयी है तथा परिशिष्ट–3 में कार्यवाही करने के भी स्पष्ट निर्देश है। चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा निम्नाकिंत पत्र/परिपत्र जारी किए गए है :–

1. अ.शा.टीप क्रमांक प.7(1) वित्त/अकेक्षण/2002 दिनांक 19.01.2005
2. पत्र क्रमांक प.12(11)वित्त/अकेक्षण 06 दिनांक 11.05.2006
3.. पत्र क्रमांक प.7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक 28.06.2016
4.. पत्र क्रमांक प.7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक 14.03.2017

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के उपरान्त भी विभागों द्वारा चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों में निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों की रोकथाम हेतु विभागीय स्तरं पर एक समुचित कार्य प्रणाली विकसित की जावे तथा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में विभागीय आंतरिक जांच दलों से नियमित आंतरिक जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि आंतरिक जांच का कोई बैकलॉग चल रहा हो तो उसे अविलम्ब पूर्ण कराया जावे ताकि दुर्विनियोजन, हानि, गबन एवं चोरी के मामलों का प्रारम्भिक स्तर पर ही पता लगाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
2. विभागों द्वारा समय पर बैंक से अंक मिलान, कोषागार से मिलान, रोकड बही का वॉउचरों से सत्यापन,स्टोर का भौतिक सत्यापन एवं सामग्री की सुरक्षा के संबंध में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

16.1.26

3. जैसे ही चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि की जानकारी प्राप्त हो, महालेखाकार कार्यालय, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग एवं निदेशक, निरीक्षण विभाग को अविलम्ब सूचित करते हुये पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावे तथा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच करवाई जावे। प्रारम्भिक जांच में गबन आदि की पुष्टि होने पर आवश्यक हो तो विस्तृत जांच कराई जावे तथा गबनकर्ता के विरूद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे एवं गबन राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावें।
4. न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर विभाग की ओर से समय–समय पर समुचित पैरवी की जावे तथा न्यायालय से प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण करवाया जावें।
5. कई बार यह भी देखने में आया है कि दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत हो जाते है परन्तु सेवानिवृत्ति तक न तो उनके विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है तथा न ही विभागीय जांच प्रारम्भ हो पाती है। यह विदित है कि सेवानिवृति के उपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से ऐसे मामलों में वसूली किया जाना अत्यन्त ही कठिन होता है तथा अन्त में राज्य सरकार को ही हानि वहन करनी पड़ती है। अतः चोरी, गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं धोखाधड़ी के मामलों में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के सेवा में रहते हुए ही नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।
6. गबनकर्ता कार्मिक को रोकड शाखा, स्टोर शाखा, राजस्व संग्रहण एवं लेखा संधारण आदि के कार्यों से तुरन्त हटाया जावे तथा भविष्य में भी उन्हें ऐसे कार्य आवंटित नहीं किए जावे। गबन, चोरी, एवं दुर्विनियोजन एवं हानि के प्रकरणों से संबंधित अभिलेख को भी सुरक्षित कर लिया जावे ताकि उसमें किसी तरह की हेरा–फेरी/गायब किये जाने की सम्भावना न रहे तथा भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि के प्रकरणों में उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

12.1.26

(डॉ0 टीना सोनी)
शासन सचिव, वित्त, (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I, II) राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(भवानी सिंह मीणा)
संयुक्त शासन सचिव